

नवम्बर, 2007  
NOVEMBER, 2007

S-01

बीमा सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा  
साधारण बीमा के सिद्धांत और व्यवहार एवं  
सर्वेक्षण और हानि निर्धारण

EXAMINATION FOR INSURANCE SURVEYORS  
PRINCIPLES AND PRACTICE OF GENERAL INSURANCE AND  
SURVEY AND LOSS ASSESSMENT

समय : 3 घंटे ]  
Time: 3 Hours]

[कुल अंक : 100  
[Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं परन्तु यह अनिवार्य नहीं।  
शेष सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक 12 अंक हैं।

Answer **eight** Questions only. Question **one** carries 16 Marks but this is not compulsory.  
All other questions carry 12 marks each.

- |                                                                                                                                                                                   | Marks |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. जानकारी की उन मदों का उल्लेख कीजिए जो आप हानि के स्वीकार्य होने पर अन्तिम सर्वे रिपोर्ट में शामिल करेंगे ?                                                                     | 16    |
| 1. Mention the items of information that you will include in a final survey report when a loss is admissible.                                                                     | 16    |
| 2. कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत ? (प्रत्येक के 2 अंक)                                                                                                         |       |
| क) मरीन कार्गो बीमा में बीमा के अंतर्गत वसूली करने के लिए बीमाधारक का बीमित विषयवस्तु पर बीमाहित हानि के समय विद्यमान होना चाहिए, भले ही यह बीमाहित संविदा के आरंभ होते समय न हो। |       |
| ख) आग लगने के बाद बीमाधारक को अन्य परिणामी हानियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि भाड़े की हानि या मुनाफे की हानि। ये सभी अग्नि पॉलिसी के अंतर्गत वसूली योग्य होते हैं।        |       |
| ग) अगर किसी मरीन पॉलिसी के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न हो तो उत्तरोत्तर हानियों के लिए बीमाकर्ता दायी होता है, भले ही ऐसी हानियों की राशि क्यों न बीमा राशि को पार कर जाए।          |       |
| घ) मरीन बीमा में शुद्ध क्षतिपूर्ति के स्थान पर वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति दी जाती है।                                                                                                  |       |
| च) कतिपय जिन्सों (कमोडिटीज़) के मामले में कार्गो दावों में कमियों को सुनिश्चित करने के लिए बीजक या नौवाहित भारों को अनदेखा किया जाना चाहिए।                                       |       |
| छ) अगर परेषिति सर्वेक्षक की निष्पक्ष स्थिति को मान्य करने से अस्वीकार करता है और उससे मामले पर आगे चर्चा करने से मना करता है तो सर्वेक्षक द्वारा सर्वे का त्याग किया जा सकता है।  |       |

2. **Giving reasons**, state whether the following statements are **true** or **false**: 2 each
- In marine cargo insurance, in order to recover under the insurance, the assured must have insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss though he may not have such interest at the inception of the contract.
  - Following a fire, insured may suffer other consequential losses, such as loss of rent or loss of profit. These are all recoverable under a fire policy.
  - Unless a marine policy otherwise provides, the insurer is liable for successive losses, even though the total amount of such losses may exceed the sum insured.
  - In marine insurance a commercial instead of a pure indemnity is provided.
  - In case of certain commodities, invoiced or shipped weights should be ignored when ascertaining shortages in cargo claims.
  - If the consignee refuses to recognise the surveyor's impartial position and declines to discuss the matter further, the surveyor may abandon the survey.

(प्रत्येक के 6 अंक)

3. अ) अग्नि पॉलिसी के अंतर्गत हानि का भुगतान किस प्रकार बीमा राशि को प्रभावित करता है ?
- ब) मुनाफे की हानि बीमा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु किस उपाय का प्रावधान किया गया है ?
3. a) How does payment of a loss affect the sum insured under a Fire policy? 6 each
- b) What is the measure of indemnity provided under Loss of Profits insurance?
4. "प्रत्येक बीमाकर्ता किसी सर्वेक्षक को सर्वेक्षण कार्य सौंपते समय उससे कतिपय गुणों की अपेक्षा करता है ।" ये गुण क्या होते हैं ? 12
4. "Every insurer looks for certain attributes in a surveyor while awarding survey assignments." What are these attributes ? 12

5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (प्रत्येक के 3 अंक)
- अ) आसन्न कारण  
 ब) वारण्टियाँ  
 स) प्रस्थापन  
 द) सर्वेक्षकों के लिए आई आर डी ए आचार संहिता ।
5. Write short notes on : 3 each
- a) Proximate Cause  
 b) Warranties  
 c) Subrogation  
 d) IRDA Code of Conduct for Surveyors.
6. निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए (किन्हीं तीन):- (प्रत्येक के 4 अंक)
- अ) पुनःस्थापन मूल्य पॉलिसी तथा सूचनापेक्षी पॉलिसी (अग्नि बीमा) ।  
 ब) व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी तथा मेडिकलेम पॉलिसी ।  
 स) खुला कवर और खुली पॉलिसी (मरीन कार्गो बीमा) ।  
 द) उत्पादन सर्व जोखिम पॉलिसी तथा ठेकेदार की सर्वजोखिम पॉलिसी ।
6. Explain the differences between the following (any three) :- 4 each
- a) Reinstatement value policy and Declaration policy (fire insurance).  
 b) Personal accident policy and Mediclaim policy .  
 c) Open cover and Open policy . (marine cargo insurance)  
 d) Erection All Risk policy and Contractors' All Risk Policy.
7. अ) अपने शब्दों में बीमाहित की परिभाषा दीजिए । 2  
 ब) बीमाहित के चार उदाहरण दीजिए । 4  
 स) 'बीमा पॉलिसी का समनुदेशन' का क्या अर्थ होता है । 2  
 द) बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता की सहमति के बिना किन पॉलिसियों को समनुदेशित किया जा सकता है ? कारण दीजिए । 4
7. a) Define in your own words, insurable interest . 2  
 b) Give **four** examples of insurable interest . 4  
 c) What is the meaning of 'assignment of policy'? 2  
 d) What policies can be assigned by the insured without the consent of insurers ? Give reasons . 4

8. निम्नलिखित में क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त कैसे लागू होता है : (प्रत्येक के 3 अंक)
- मरीन कार्गो बीमा
  - मरीन पोतकाय बीमा
  - कलाकृति पर अग्नि बीमा
  - व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
8. How is the principle of indemnity applied in : 3 each
- marine cargo insurance
  - marine hull insurance
  - fire insurance on works of art
  - personal accident insurance.
- (प्रत्येक के 4 अंक)
9. निम्नलिखित प्रत्येक में सामान्य अपवर्जनों के दो उदाहरण दीजिए (युद्ध तथा न्यूक्लियर अपवर्जनों को छोड़कर)
- मानक अग्नि पॉलिसी
  - मोटर बीमा पॉलिसी
  - मरीन कार्गो पॉलिसी - आई सी सी 'ए' सहित ।
9. Give **two examples** of general exclusions (other than war and nuclear exclusions) in each of the following : 4 each
- Standard fire policy
  - Motor insurance policy
  - Marine cargo policy with ICC/A.
10. निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए । (प्रत्येक के 6 अंक)
- वास्तविक सम्पूर्ण हानि तथा प्रलक्षित सम्पूर्ण हानि (मोटर बीमा से उदाहरणों के साथ)
  - आंशिक बीमा क्षति तथा औसत बीमा क्षति ।
10. Mention the differences between :
- Actual Total Loss and Constructive Total Loss with examples from motor insurance . 6 each
  - Particular Average and General Average.

----- समाप्त -----

----- THE END -----